समाहरणालय, गढ़वा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

जिला बाल संरक्षण इकाई

E-Mail ID-awc12.monitoring@gmail.com,

बाल संरक्षण सेवाएँ (CPS) अन्तर्गत अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0–02/2024

केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना ''मिशन वात्सल्य'' के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में जिला स्तरीय पदों पर विभागीय अधिसूचना सं0–1835, दिनांक–20.07.2016 एवं संकल्प संख्या–1836, दिनांक–20.07.2016, एवं अधिसूचना सं0–3761/दिनांक–14.09.2017 एवं संकल्प संख्या 860, दिनांक– 31.03.2023 के आलोक में जिला स्तरीय विभिन्न पदों यथा संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत देखरेख (DCPS-03), परामर्शदाता (DCPS-05), सामाजिक कार्यकर्त्ता (DCPS-06), आँकड़ा विश्लेषक (DCPS-08) बाल कल्याण समिति हेतु सहायक–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर (CWC-01) एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु सहायक –सह– डाटा इंट्री ऑपरेटर (JJB-01) पद पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार की जानी है।

गढ़वा जिला में ''मिशन वात्सल्य'' के अंतर्गत संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों के रिक्ति की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	पद का नाम एवं पोस्ट कोड	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0जा0	अनु0 ज0जा0
1	संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख DCPS03	01	01	00	00	00	00
2	परामर्शदाता DCPS05	01	01	00	00	00	00
3	सामाजिक कार्यकर्त्ता DCPS06	01	0	00	00	01	00
4	आँकड़ा विश्लेषक DCPS08	01	01	00	00	00	00
बाल कल्याण समिति (CWC) एवं किशोर न्याय बोर्ड (JJB), गढ़वा के कार्यालय हेतु :–							
क्र0	पद का नाम एवं पोस्ट कोड	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0जा0	अनु0 ज0जा0
1.	सहायक –सह– डाटा इंट्री ऑपरेटर CWC01	01	01	00	00	00	00
2.	सहायक –सह– डाटा इंट्री ऑपरेटर JJB01	01	01	00	00	00	00

उपरोक्त सभी रिक्त पदों के लिए संविदा आधारित नियुक्ति हेतु दिनांक–31.12. 2024 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उक्त सभी रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताएँ, नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. शैक्षणिक योग्यता, उम्र, कार्यानुभव एवं मासिक परिलब्धि :–

क्र0 सं0	पद का नाम	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	मासिक परिलब्धि
1	संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख	30–45 वर्ष	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण / बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।	27804.00
2	परामर्शदाता	30-45 वर्ष	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास एवं कांउसिलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	18536.00
3	सामाजिक कार्यकर्त्ता	30-45 वर्ष	सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलय / संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल विकास एवं कांउसिलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।	18536.00
4	आँकड़ा विश्लेषक	30-45 वर्ष	समाज कार्य / समाज शास्त्र, एन्थ्रेपोलाजी में स्नातक। सरकारी मान्यता प्रप्त विश्व विद्यालय संस्थान से एम0कॉम0 / एम0सी0ए0, अतिरिक्त योग्यता होगी।	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष क अनुभव।	18536.00

बाल कल्याण समिति (CWC) एवं किशोर न्याय बोर्ड (JJB), गढ़वा कार्यालय हेतु :–

क्र0 सं0	पद का नाम	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	मासिक परिलब्धि
1	सहायक –सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर (CWC)	21-35 वर्ष	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M अँग्रेजी–35 W.P.M सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 03 वर्ष का कम्प्यूटर कार्य / कार्यालय कार्य अनुभव।	11916.00
2	सहायक –सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर (JJB)	21-35 वर्ष	किसी भी संकाय में स्नातक। कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकण। हिन्दी–30 W.P.M अँग्रेजी–35 W.P.M सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता होगी।	सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 03 वर्ष का कम्प्यूटर कार्य / कार्यालय कार्य अनुभव।	11916.00

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पदों पर नियुक्तियों के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होगा।
3. उम्र सीमा की गणना–01 / 08 / 2024 के अनुसार की जाएगी।
4. आवेदक भारत का नागरिक हो।
5. **पदों में आरक्षण–** संविदा आधारित उपर्युक्त पदों के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण / रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
6. **परिलब्धि–** विभिन्न पदों की परिलब्धियों भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित राशि के आधार पर पुनरीक्षित संविदा भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा संकल्प / परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।
7. निर्धारित परिलब्धि एक मुश्त संविदा राशि है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु कर्त्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए पद कोटि के अनुरूप देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जएगा।

8. **नियुक्ति का प्रकार पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण आदि–**

(क) उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियों पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों का समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनके कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम–7 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिये किया जायेगा, जहाँ आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात यह जिला स्तरीय पद होंगे।

(ड़) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकरी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

9. **चयन प्रक्रिया –**

(i) पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमावली के नियम–16 के अनुरूप होंगे। आवश्यकतानुसार नियंत्री पदाधिकारी का संसूचन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग से संकल्प/परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे।

(ii) प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जायेगा तथा उस आलोक में अभ्यर्थियों की ''प्रारंभिक मेधा सूची'' तैयार की जायेगी।

(iii) सभी श्रेणी की पदों की रिक्तियों की दुगनी संख्या में ''प्रारंभिक मेधा सूची'' तैयार की जायेगी एवं उनके सभी प्रमाण–पत्रों की जाँचोपरांत सही पाये गये उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(iv) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अलग–अलग आवेदन समर्पित कर सकेगा, परन्तु जिला स्तरीय पदों पर अधिकतम दो जिलों में आवेदन दे सकेंगे।

(v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–4063, दिनांक–18. 05.2016 के आलोक में उपर्युक्त समूह–'ख' अराजपत्रित, समूह– ग एवं समूह–घ तथा समकक्ष पदों पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जायेगा।

(vi) संविदा आधारित पदों पर नियुक्तियॉ 03 (तीन) वर्षो के लिए की जाएगी, जिसे अधिकतम 05 (पॉच) वर्षो तक के लिए संविदा कर्मियों के व्यक्तिगत मुल्यांकन के आधार पर विस्तारित किया जा सकेंगा। 05 (पॉच) वर्षो के उपरान्त यदि ऐसी नियुक्तियों की आवश्यकता है, तो संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10. **योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया :–**

प्रत्येक पद के लिए योग्यता स्कोर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :–

(i) वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता चाहिए।

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	= 60
(ख) अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	= 20
(ग) अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	= 20
कुल अधिकतम अंक	**= 100**

(ii) वैसे पद जिसमें अतिरिक्त योग्यता नहीं चाहिए।

(क) अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अंक	= 60
(ख) अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 20 अंक	= 20
कुल अधिकतम अंक	**= 80**

नोट :– (i) एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 / के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर गणना किया जायेगा।

(ii) एक से अधिक अतिरिक्त योग्यता के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक की मान्यता दी जायेगी, जिसका प्राप्तांक अधिक होगा।

11. **अभ्यर्थियों के बीच टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर चयन की प्रक्रियाएँ–**

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल योग्यता स्कोर अर्थात अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति उत्पन्न होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित होगा।

12. उपर्युक्त पदों में नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त हैं। नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा उपायुक्त करेंगे।

13. **विभिन्न पदों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व –**

(क) सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के कार्य / कर्त्तव्य / उत्तरदायित्व समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा–निर्देश / मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

(ख) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा समय–समय पर ऐसे सौंपे गये कार्यो / कर्त्तव्य / उत्तरदायित्वों का पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा।

14. **प्रशिक्षण** – प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण विभाग या नियुक्ति / नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। सभी चयनित अथ्यर्थियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदण्ड विभाग या नियुक्ति / नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थी को अंतिम रूप से नियुक्त समझा जायेगा।

15. **अवकाश** – संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

16. अन्यान्य–

(क) नियमावली में अस्पष्टता या इसके प्रावधानों के अनुपालन में किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपिकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना / परिपत्र जारी कर इसका परिमार्जन करने के लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किये गये अधिसूचना / परिपत्र में निहित निदेश नियमावली के भाग समझे जायेंगे।

(ख) नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों के लिए नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त्त विभाग द्वारा आवश्यक समझी जायेगी तो इस संबंध में विभाग समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश परिपत्र/अधिसूचना जारी कर सकेगी, जो नियमावली के अंग समझे जायेंगे।

(ग) पदों की संख्या उनके प्रकार, उनकी परिलब्धियाँ आदि में किसी परिवर्तन की स्थिति में विभाग आवश्यकतानुसार अधिसूचना/परिपत्र निर्गत कर नये या संशोधित दिशा–निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी जारी किये गये अधिसूचना/परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली एवं विज्ञापन के भाग समझे जायेंगे।

(घ) संविदा पर नियुक्त कर्मी के पद स्थानान्तरणीय नहीं होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

(ड़) नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार इसके लिए राज्यादेश जारी कर सकेगी जो नियमावली एवं विज्ञापन का अंग समझा जायेगा।

17. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या इसे पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा।
19. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारंभिक मेघा सूची से आवेदनों का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र का सत्यापन इत्यादि जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :–

(क) स्वहस्ताक्षरीत रंगीन फोटो।

(ख) मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(ग) इंटर अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(घ) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(ड़) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(च) अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र।

(छ) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र।

(ज) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षिण वर्ग के लिए)।

(झ) अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र।

(ञ) कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी में टंकन। हिन्दी–30 W.P.M अंग्रेजी–35 W.P.M (केवल सहायक–सह–डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए)

(ट) अभ्यर्थी को इस आशय का नोटरी का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा दो से अधिक जिला में पद विशेष हेतु आवेदन नही किया गया है।

(ठ) शपथ पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहें है, उन्हे पदवार पृथक रूप से सपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ड) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध/फर्जी पाये जाने पर चयन समिति को नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा एवं नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

(ढ़) मतदाता पहचान पत्र।

(ण) सभी संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में संलग्न प्रमाण–पत्र विचार नही किया जाएगा।

(त) जिन आवेदको के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में Grade/CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो उन आवेदको को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। वैसे आवेदक जिनका पॉच वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोतर का एकीकृत (Integrated) अंक पत्र हो, उन्हे संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोतर का पृथक अंक पत्र/प्रतिशत का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक–31.12.2024 समय अपराह्न 05:00 बजे तक है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा।

3. अपूर्ण आवेदन, गलत सूचना तथा आवश्यक निर्धारित मापदण्डों को पूरा नही करने वाले आवेदको का आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा।

4. आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के द्वारा निम्न पता पर भेजा जा सकता है :–
   जिला समाज कल्याण कार्यालय, गढ़वा।
   पता :– न्यू समाहरणालय (भू–तल), बी0 ब्लॉक, कमरा नं0–114, पिन कोड–822114, गढ़वा (झारखण्ड)।

5. आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा ही स्वीकृत होगा किसी अन्य प्रकार या स्वयं जमा किया गया आवेदन स्वीकार नही होगा।

6. उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्ते, शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता का विवरणी Website-https://garhwa.nic.in पर देखी जा सकती है।

उपायुक्त,
गढ़वा।